

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प.12(5)चिस्वा/2/2018/पी-26

जयपुर, दिनांक

17-12-18

आदेश

डॉ. प्रिंस सेन, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन इस विभाग के आदेश 1(1)चिस्वा2/18 दिनांक 28.09.2018 द्वारा सामु.स्वा.केन्द्र, कोटडा, उदयपुर में किया गया था। डॉ. सेन ने अपरिहार्य कारणों से कार्यग्रहण नहीं करने एवं राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण दिनांक 15.11.2018 को निदेशक (जन.स्वा.) के यहां अपनी उपस्थिति दी।

डॉ. सेन को सामु.स्वा.केन्द्र कोटडा, उदयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है। पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से कर्तव्य पर मानते हुए पूर्व की समस्त अवधि अनुपस्थिति अवधि मानी जावेगी।

यह स्वीकृति मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति से उनकी आई.डी. संख्या 6795 दिनांक 03.12.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (जन.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज0, जयपुर
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
3. डॉ. प्रिंस सेन, चिकित्सा अधिकारी को पालनार्थ द्वारा निदेशक (जन.स्वा.)
4. रक्षित/कम्प्यूटर सैल पत्रावली।

(ओ.पी.वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-26/2019/15

दिनांक : 07/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
4. डॉ0 प्रिंस सेन, चिकित्सा अधिकारी को पालनार्थ।
5. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित संस्थापन/एटीसी अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।